प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में दर्शाये गए उदाहरण 2017-18 की अवधि के दौरान की गई नमूना जांच लेखापरीक्षा के दौरान देखें गए हैं तथा इसमें 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के संव्यवहार शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा,लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (एमओएफ), वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, (डीओआर) और इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।